समाहरणालय, चतरा।

(उत्पाद–शाखा)

बन्दोबस्ती सूचना

एतत् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष में संकल्पित नई उत्पाद नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष की शेष अवधि (बन्दोबस्ती की तिथि से दि0 31.03.09) के लिए इस कार्यालय के ज्ञापांक 1008 दिनांक 22.07.08 द्वारा निर्गत बिक्री अधिसूचना में निहित शर्त्तों एवं बंधेजों के तहत संलग्न सूची के अनुसार चतरा जिला के 13 (तेरह) देशी शराब, 07 (सात) विदेशी शराब एवं 02 (दो) मसालेदार देशी शराब खुदरा दुकानों की एकल समूह, जिसका निर्धारित मासिक रक्षित शुल्क मो0 8,66,748/– (आठ लाख छियासठ हजार सात सौ अड़तालिस) रूपए है, की बन्दोबस्ती निलामी सह टेंडर पद्धति के अन्तर्गत उपायुक्त चतरा द्वारा दिनांक 02.08.08 को 11:00 बजे पूर्वा0/~~अप्रा0~~ में चतरा समाहरणालय के सभा–कक्ष में की जायेगी।

इच्छुक उम्मीदवार बन्दोबस्ती की निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 31.07.08 को कार्यालय अवधि (5.00 बजे अपराह्न) तक आवेदन–पत्र वांछित कागजात एवं निर्धारित रक्षित शुल्क के साथ सदर उत्पाद कार्यालय हजारीबाग में विधिवत समर्पित कर सकते है। बन्दोबस्ती के एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 01.08.08 को प्राप्त आवेदनों की जांच कर ली जायेगी एवं योग्य उम्मीदवारों को ही निलामी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी।

विस्तृत जानकारी हेतु सदर उत्पाद कार्यालय, हजारीबाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

22.7.08

उपायुक्त, चतरा।